न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

सत्र परीक्षण सं0–289/2018

सी0एन0आर0–यू0पी0एल पी0 010067872018

कम्प्यूटर नं0–596/2018

राज्य बनाम सुखवन्त सिंह उर्फ सुक्खा सिंह आदि
मु0अ0सं0–601/2017
धारा–364/34,307/34, 324/34,
325/34,326/34 भा0 दं0सं0
थाना– निघासन,
जिला–खीरी।

आरोप

मैं, **निर्मल चन्द्र सेमवाल**, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश लखीमपुर–खीरी एतद्द्वारा आप अभियुक्त सुखवन्त सिंह उर्फ सुक्खा, साजिद को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ–

प्रथम –यह कि दिनांक– 7–12–2017 को समय 20.00 बजे स्थान दुर्गापुरवा गन्ना सेन्टर के आगे गन्ने का खेत बहद ग्राम दुर्गापरुवा, अन्तर्गत थाना– निघासन, जिला– लखीमपुर–खीरी में सामान्य आशय के अग्रसारण में आप लोगों ने वादी मुकदमा गुरमेल सिंह के भाई अमरजीत सिंह उपहति कारित करने हेतु अपहरित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया है जो भा0दं0सं0 की धारा–364/34 में दण्डनीय होने के साथ–साथ इस न्यायालय के प्रसज्ञांन में है ।

द्वितीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर जान से मारने के उद्देश्य से ऐसे आशय, ज्ञान एवं परिस्थितियों में वादी मुकदमा गुरमेल सिंह के भाई अमरजीत सिंह पर बांका जैसे धारदार घातक हथियार से उपहति कारित कर दिये । यदि वादी मुंकदमा के भाई अमरजीत की मृत्यु हो जाती तो आप उसकी हत्या के दोषी होते और इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यहकि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसारण में आप लोगों ने वादी मुकदमा गुरमेल सिंह के भाई अमर जीत सिंह क को स्वेच्छया बांका जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की । इस प्रकार आप लोगो ने एक ऐसा अपराध किया जो कि धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान एवं क्षेत्राधिकार में है।

चतुर्थ – यहकि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसारण में आप लोगों ने वादी मुकदमा गुरमेल सिंह के भाई अमर जीत सिंह को स्वेच्छया बांका से मारपीट कर घोर उपहति कारित की । इस प्रकार आप लोगो ने एक ऐसा अपराध किया जो कि धारा 325/34 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान एवं क्षेत्राधिकार में है।

पंचम – यहकि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसारण में आप लोगों ने वादी मुकदमा गुरमेल सिंह के भाई अमर जीत सिंह को स्वेच्छया बांका से मारपीट कर घोर उपहति कारित कर अस्थिभंग कारित किया । इस प्रकार आप लोगो ने एक ऐसा अपराध किया जो कि धारा 326/34

भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान एवं क्षेत्राधिकार में है।

एतद्व्दारा आप लोगों को निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय व्दारा किया जायेगा।

दिनॉक 8–8–2019

(निर्मल चन्द्र सेमवाल)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश ,लखीमपुर–खीरी

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मॉग की।

दिनॉक 8–8–2019

(निर्मल चन्द्र सेमवाल)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश ,लखीमपुर–खीरी